



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-23032026-271178
CG-TL-E-23032026-271178

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1494]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947

No. 1494]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 18 मार्च, 2026

का.आ. 1429(अ).— जबकि, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अधिसूचना संख्या S.O.4628, दिनांक 10.10.2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई (जिसे आगे 'उक्त अधिसूचना' कहा गया है) तथा जो रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई है, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार ने तेलंगाना राज्य के खम्मम ज़िले के रघुनाथपालेम मंडल के पापटपल्ली ग्राम में कि.मी. 470/2-4 पर स्थित समपार संख्या 95 के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के अधिग्रहण के अपने आशय की घोषणा की है।

और जबकि, उक्त अधिसूचना का एक अंश इस अधिनियम की धारा 20A की उप-धारा (1) के अंतर्गत मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर, निर्माण, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद की स्वीकृति से दिनांक 25 अक्टूबर, 2025 को दैनिक समाचार पत्र 'माना तेलंगाना' तथा दिनांक 26 अक्टूबर, 2025 को दैनिक समाचार पत्र 'द हिंदू' और 'साक्षी' में प्रकाशित किया गया।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी, खम्मम तथा विशेष उप कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण), आईपीटी एवं रेलवे को तेलंगाना राज्य के खम्मम ज़िले के रघुनाथपालेम मंडल के पापटपल्ली ग्राम के संबंध में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

और जबकि, इस अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा यह भी घोषित करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने पर, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: यात्री तथा माल यातायात सुविधा हेतु तेलंगाना राज्य के खम्मम ज़िले के रघुनाथपालेम मंडल के पापटपल्ली ग्राम में कि.मी. 470/2-4 पर समपार संख्या 95 के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण के लिए प्रस्तावित रेलवे परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि, संरचनाओं सहित अथवा बिना संरचनाओं के, का संक्षिप्त विवरण।

गाँव: पापटपल्ली			मंडल: रघुनाथपालेम				जिला: खम्मम			
क्रम सं	सर्वे संख्या एस.डी. आर.के अनुसार	सर्वे संख्या भू भारती के अनुसार	अधिग्रहण हेतु क्षेत्रफल (एकड़ - गुंटा में)	भूमि का स्वरूप	भूमि का प्रकार	पट्टेदार एवं भोगकर्ता का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ - गुंटा में)	वृक्ष आदि, यदि कोई हो	संरचनाएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	218/2	218/A/5	0.11	सूखी	पट्टा	कोनाकांची प्रभाकर राव S/o रामचंद्र राव (P&E)	0.11	-	-	-
2	डोंका	-	0.08	-	-	डोंका	0.08	-	-	-
3	278/1 /2	278/EE/1/ 2	1.08	सूखी	पट्टा	मद्दी उषा रानी W/o वेंकटारेड्डी (P&E)	0.31	-	(15) पाइप, (65) खंभे & बाड़	-
4		278/EE/1/ 1		सूखी	पट्टा	चावा मधुलता W/o दीपक (P&E)	0.03	-	(12) पाइप, (35) खंभे, बाड़ एवं लोहे का गेट	-
5		278/A/1		सूखी	पट्टा	बोदापोतुला वेंकटेश्वरलु S/o परमय्या (P&E)	0.05	-	-	-
6		-		-	-	-	आर एंड बी सड़क	0.09	-	-
7	279/1 /2	277/AA/1/ 3 277/U/4	0.30	सूखी	पट्टा	कोलागानी गुरवय्या S/o सरवय्या (P&E)	0.18	-	-	-
8		277/U/2		सूखी	पट्टा	नागवरपु ममता	0.09	-	(500)	-

						W/o राधा कृष्ण (P&E)			सुबाबुल के वृक्ष (20) पत्थर के खंभे	
9		277/AA/3/2		सूखी	पट्टा	दुम्पाटि चेतन श्रीराम S/o लक्ष्मय्या (P&E)	0.03	-	-	-
10	279/2/2	279/1, 279	0.17	रेल मार्ग	पट्टा	मौजूदा रेलवे लाइन	0.17	-	-	-
11	347/1/2	347/EE/1	0.18 ½	सूखी	पट्टा	सामिनेनी वेंकटेश्वरलु S/o रोशय्या (P&E)	0.02	-	-	-
12		347/E		सूखी	पट्टा	चावा सुनील S/o भद्रय्या (P&E)	0.16½	-	बोर	-
13	डोंका	-	0.22	-	-	डोंका	0.22	-	-	-
14	रेलवे लाइन	-	0.28	-	-	रेलवे लाइन	0.28	-	-	-
Total			4.22 ½			Total	4.22 ½			

[फा. सं. RSP/Gazette/20E/LC.No.95/KZJ-BZA/SC]

मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 16th March, 2026

S.O. 1429(E).—Whereas, by the notification by Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O.No.4628. Dated.10.10.2025 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3 Sub section (ii), (herein after referred to as said notification) and issued under sub section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No.95 at km.470/2-4 in Papatapalli Village of Raghunadhapalem Mandal in Khammam District, in the state of Telangana.

And whereas an extract of this notification was published in the daily newspapers Mana Telangana on 25th October, 2025, The Hindu Daily News Paper on 26th October, 2025 and Sakshi on 26th October, 2025 with the approval of Manoj Kumar, Chief Engineer, Construction, Road Safety Project, South Central Railway, Secunderabad, under sub-section (1); Section 20A of this Act.

And Whereas, Competent Authority, Khammam and Special Deputy Collector (LA), IPT & Railways, have objections received for Papatapalli Village of Raghunadhapalem Mandal of Khammam District of Telangana State.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20 (E) of this Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, on receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands mentioned in the Schedule have been annexed. To be obtained here for the purpose mentioned above;

Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of this Act, the Central Government, hereby declares on publication of notification in the Official Gazette, that the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central government is free from all encumbrances

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 95 at km. 470/2 - 4 in Papatapalli Village of Raghunadhapalem Mandal in Khammam District in the state of Telangana jurisdiction for passenger and freight facility. Brief description of land to be acquired with or without structures in a particular railway project.

Village: Papatapalli			Mandal: Raghunadhapalem			District: Khammam				
S.No	Sy No. As per SDR	Sy. No As per Bhu Bharathi	Area under Acquisition in Acs.Gts	Type of Title	Type of Land	Name of Pattadar & Enjoyer	Extent In Ac.Gts	Trees etc., If any	Structures	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	218/2	218/A/5	0.11	Dry	Patta	Konakanchi Prabhakar Rao S/o Ramachander Rao (P&E)	0.11	-	-	-
2	Donka	-	0.08	-	-	Donka	0.08	-	-	-
3	278/1/2	278/EE/1/2	1.08	Dry	Patta	Maddi Usha Rani W/o Venkatareddy (P&E)	0.31	-	(15) Pipes, (65) Poles, & Fencing	-
4		278/EE/1/1		Dry	Patta	Chava Madhulatha W/o Deepak (P&E)	0.03	-	(12) Pipes, (35) Poles, & Fencing, Iron Gate	
5		278/A/1		Dry	Patta	Bodapothula Venkateswarlu S/o Paramaiah (P&E)	0.05	-	-	-
6		-		-	-	R&B Road	0.09	-	-	-
7	279/1/2	277/AA/1/3 277/U/4	0.30	Dry	Patta	Kolagani Guravaiah S/o Saravaiah (P&E)	0.18	-	-	-
8		277/U/2		Dry	Patta	Nagavarapu Mamatha W/o Radha Krishna (P&E)	0.09	-	(500) Subabulu Trees (20) Rock Poles	-
9		277/AA/3/2		Dry	Patta	Dumpati Chetan Sriram S/o Lakshmaiah (P&E)	0.03	-	-	-
10	279/2/2	279/1, 279	0.17	Train Route	Patta	Existing Railway Line	0.17	-	-	-
11	347/1/2	347/EE/1	0.18 ½	Dry	Patta	Samineni Venkateswarlu S/o Roshaiiah (P&E)	0.02	-	-	-
12		347/E		Dry	Patta	Chava Sunil S/o Bhadraiah	0.16½	-	Bore	-

						(P&E)				
13	Donka	-	0.22	-	-	Donka	0.22	-	-	-
14	Railway Line	-	0.28	-	-	Railway Line	0.28	-	-	-
Total			4.22 ½			Total	4.22 ½			

[F. No. RSP/Gazette/20E/LC.No.95/KZJ-BZA/SC]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP